संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश
ग–खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल – 462004
☎ – (0755) 2551199, 2552003
फैक्स – 0755–2551387

क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1464 भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

तत्काल/महत्वपूर्ण/समय–सीमा

प्रति,

1. **संभागायुक्त** (समस्त), मध्य प्रदेश
2. **कलेक्टर** (समस्त), मध्य प्रदेश
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. **आयुक्त** (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. **राज्य स्तरीय प्रमुख,** समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. **अध्यक्ष,** समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. **प्रबंध संचालक,** मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. **आंचलिक प्रबंधक,** भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल
11. **क्षेत्रीय प्रबंधक,** न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
12. **क्षेत्रीय प्रबंधक,** यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
13. **क्षेत्रीय प्रबंधक,** ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
14. **क्षेत्रीय प्रबंधक,** नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि0, भोपाल
15. **अग्रणी जिला प्रबंधक** (समस्त), मध्य प्रदेश

विषयः– **प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भ की गई योजनाएं – अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाबत्।**

संदर्भः–
1. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1358 दिनांक 1 मई 2015।
2. पत्र क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1366 दिनांक 2 मई 2015।
3. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क. 170/मु.स./2015 दिनांक 6 मई 2015।
4. मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क. 2925/उ.स./मु.स./2015 दिनांक 7 मई 2015।
5. मुख्य सचिव महोदय का पत्र क. 174/मु.स./2015 दिनांक 12 मई 2015।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एव प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।इस विषय पर दिनांक 13 मई 2015 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा बैंकर्स के साथ की गई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार इन योजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु विभिन्न बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख/उप राज्य स्तरीय प्रमुख/अधीनस्थ क्षेत्रीय प्रबंधक/उच्च अधिकारियों द्वारा संलग्न सूची अनुसार आवंटित जिले का मासिक प्रवास कर समीक्षा की जाना अपेक्षित है। प्रवास पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा एस0एस0ए0 तथा वार्ड में बैंक शाखाओंएवं बी0सी0एजेंट्स द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु की जा रही कार्यवाही का स्थल निरीक्षण/भ्रमण किया जाये जिससे कि योजना के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया जा सके। इस हेतु निम्नानुसार लेख है किः–

1. <u>प्रवास कार्यकम की सूचना–</u> राज्य स्तर/रीजन से जिले में प्रवास पर जाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी के नाम, पदनाम की जानकारी एवं प्रवास कार्यकम की जानकारी संचालनालय संस्थागत वित्त, संबंधित जिले के कलेक्टर, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा अग्रणी जिला प्रबंधक को दी जाये जिससे कि जिला स्तर पर डी0एल0सी0सी0 की बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जा सके। साथ ही जिला स्तर पर आ रही कठिनाईयों का समाधान करने के प्रयास किये जायें।

2. <u>एस0एस0ए0 का प्रवास प्रतिवेदन–</u> संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित जिले के 2–3 एस0एस0ए0 का भ्रमण किया जाये। सामान्यतः भ्रमण हेतु चिन्हित एस0एस0ए0 किसी अन्य बैंक के हों। उक्त भ्रमण चालू माह से लेकर माह अगस्त 2015 तक प्रत्येक माह किया जाये। एस0एस0ए0 प्रवास का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र–ए में प्रवास पूर्ण होने के उपरान्त सामान्यतः 3 दिवस में भेजा जाये जिससे कि प्रवास के दौरान पाई गई कमियों को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

3. <u>वार्ड का प्रवास प्रतिवेदन–</u> संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित जिले के 2–3 वार्ड का भ्रमण किया जाये। सामान्यतः भ्रमण हेतु चिन्हित वार्ड किसी अन्य बैंक के हों। उक्त भ्रमण चालू माह से लेकर माह अगस्त 2015 तक प्रत्येक माह किया जाये। वार्ड प्रवास का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र–बी में प्रवास पूर्ण होने के उपरान्त सामान्यतः 3 दिवस में भेजा जाये जिससे कि प्रवास के दौरान पाई गई कमियों को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सभी बैंकों से अपेक्षा है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। सभी जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि बैंक के उच्चाधिकारी द्वारा जिले में प्रवास हेतु दी गई सूचना के आधार पर बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्रीजी की मंशानुसार निर्धारित समयावधि में योजनाओं का सफल कियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नः–उक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त

पृ. क.प्राविवि/प्रमंजधयो–2/संविसं/2015/1465 भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
8. मुख्य महाप्रबंधक ,नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
9. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।

मिशन डायरेक्टर
सह आयुक्त
संस्थागत वित्त